डॉ. आर. एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs)

1. अकादमी में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले प्रशिक्षु अधिकारियों को अकादमी परिसर में औपचारिक वेशभूषा धारण करना अनिवार्य होगा।

2. छात्रावास में अध्यासन के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों को अकादमी मैस के इतर बाहर का कोई भी भोज्य पदार्थ लाना वर्जित है। इससे संबंधित प्रमाण/अवशेष पाये जाने पर संबंधित के विरूद्व कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

3. सम्पूर्ण अकादमी परिसर एवं छात्रावास में मादक द्रव्य का सेवन एवं धूम्रपान करना पूर्णतया निषिद्व है। प्रशिक्षु अधिकारियों के कक्ष में मादक द्रव्य का सेवन एवं धूम्रपान किये जाने के अवशेष/प्रमाण पाए जाने की पुष्टि होने पर उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी एवं नियंत्रक अधिकारी को संबंधित के विरुद्व विभागीय कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की जाएगी तथा अकादमी से तत्काल कार्यमुक्त (Training Terminate) कर दिया जाएगा।

4. अकादमी भोजनालय में नाश्ता प्रातः 8:00 बजे से 9:00 बजे, दिन का भोजन अपराह्न 1:30 बजे से 2:30 बजे एवं रात्रि भोजन रात्रि 8:00 बजे से 9:00 बजे तक निर्धारित है, उसके बाद किसी भी प्रतिभागी को भोजन उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। अपरिहार्यता की स्थिति में प्रभारी अधिकारी–मैस एवं संबंधित कार्यक्रम निदेशक की अनुमति के उपरान्त ही भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। मैस में औपचारिक वेशभूषा धारण करने के पश्चात ही प्रवेश किये जाने की अनुमति होगी।

5. यदि कोई प्रशिक्षु अधिकारी सांयकाल में अकादमी गेट के बाहर जाता है, तो उसके द्वारा मुख्य गेट पर सुरक्षा गार्ड के पास अपना नाम एवं संबंधित कोर्स का नाम रजिस्टर में अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। गेट के बाहर गये प्रशिक्षु अधिकारियों को रात्रि 9:30 बजे तक अनिवार्य रूप से अकादमी में वापस आना होगा। रात्रि 9:30 बजे के बाद किसी भी प्रतिभागी को अकादमी में संयुक्त निदेशक/कार्यक्रम निदेशक/प्रभारी अधिकारी–परिसर की अनुमति के बिना प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

6. प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा कक्षों में अध्यासन के दौरान राजकीय सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने की दशा में संबंधित प्रशिक्षु अधिकारी उत्तरदायी होगा।

7. अकादमी परिसर/छात्रावास में समस्त प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा अध्यासन के दौरान मर्यादित आचरण एवं शान्त वातावरण बनाया जायेगा, जिससे कि अन्य प्रतिभागियों की निजता का सम्मान हो सके।

8. यदि कोई प्रशिक्षु अधिकारी अध्यासन के दौरान किसी ऑडियो/वीडियो/फोन का प्रयोग करता है तो धीमी ध्वनि में उपयोग किया जाएगा, जिससे दूसरे कक्षों में अध्यासित प्रशिक्षु अधिकारियों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।

9. अकादमी क्रीड़ा अनुभाग में ट्रैकसूट एवं स्पोर्ट्स शूज़ पहनकर ही प्रवेश किया जाना होगा, अन्य प्रकार के ड्रेस पूर्णतया वर्जित हैं। क्रीड़ा परिसर में प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा मर्यादित आचरण किया जाएगा।

10. अकादमी परिसर में प्रतिभागियों के शासकीय एवं निजी वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी।

11. उपरोक्त मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) का अनुपालन नहीं किये जाने की दशा में संबंधित के विरूद्ध नियामानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

* * *